उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928	GSTIN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

दिनांक 14/09/2022

ई–मेल द्वारा

दिशा–निर्देश सं0: /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2022

विषय :– आवासीय परिसर के उपयोग पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) जी0एस0टी0 की देयता के सम्बन्ध में।

कृपया वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) के अधिसूचना संख्या 05/2022–Central Tax (Rate) दिनांक 13.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार दिनांक 18.07.2022 से निम्नलिखित सेवाओं पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के अन्तर्गत जी0एस0टी0 देय होगा–

"Service by way of Renting of residential dwelling to a registered person"

अतः निगम द्वारा किसी भी आवासीय परिसर का उपयोग करने सम्बन्धी सेवाओं पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के अन्तर्गत जी0एस0टी0 देय होगा।

उदाहरण–

- कार्यालय हेतु।
- कर्मचारी/अधिकारी के निवास हेतु।

उक्त नियमानुसार आवासीय परिसर मालिक जी0एस0टी0 सेवाओं के चाहें पंजीकृत हो अथवा अपंजीकृत हो दोनो ही प्रकरणों में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के अन्तर्गत जी0एस0टी0 देय होगा।

उदाहरण–

- यदि आवासीय परिसर मालिक जी0एस0टी0 सेवाओं के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा पूर्व में वह प्राप्त करने वाले भुगतान पर जी0एस0टी0 चार्ज करता था तो उक्त नियमों के अनुसार विभाग द्वारा मालिक को मात्र मूल किराया का भुगतान किया जायेगा तथा जी0एस0टी0 का भुगतान विभाग द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के अन्तर्गत स्वयं जमा किया जायेगा। (यदि पूर्व में विभाग द्वारा आवासीय परिसर मालिक को रू0 100.00 मूल किराया तथा उस पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 जोड़कर रू0 118.00 का भुगतान किया जाता था तो वर्तमान में आवासीय परिसर मालिक को मात्र रू0 100.00 मूल किराया का ही भुगतान किया जायेगा, शेष 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 धनराशि रू0 18.00 (RCM) के अन्तर्गत विभाग द्वारा स्वयं जमा किया जायेगा।)

परिसर आवासीय है अथवा व्यवसायिक इस प्रकार की भ्रम की स्थिति से बचने हेतु परिसर की भूमि पंजीयन/भूमि उपयोग के माध्यम से सत्यापन कर सुनिश्चित किया जाये। अतः दिनांक 18.07.2022 के पश्चात् आवासीय परिसर का कारपोरेशन द्वारा प्रयोग किये जाने के सापेक्ष किये जाने वाले भुगतान उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निहित होंगे एवं उन पर आर0सी0एम0 के अन्तर्गत टैक्स का भुगतान किया जायेगा।

(ए0 के0 अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

दिशा–निर्देश सं0: 20 /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का0प्र0 एवं प्रशा0 उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को कानपुर।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0/वेतन एवं लेखा, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0 के0 अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)